



**DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY**

Kargi Road, Kota, Dist.-Bilaspur (C.G), Ph. : +91-7753-253801  
Fax : 07752-253728, email : info@cvru.ac.in  
visit us at : www.cvru.ac.in

क्र.283 / कु.स. / सी.वी.आर.यू. / 2017

बिलासपुर, दिनांक : 06.04.17

प्रति,

अध्यक्ष महोदय,  
छत्तीसगढ़ निजि विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय का माह मार्च – 2016 का  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय द्वारा माह मार्च – 2016  
का मासिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है।

सादर,

  
कुलसचिव



डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय  
करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)  
मासिक प्रगति पत्रक

माह :- मार्च - 2017

|    |   |  |
|----|---|--|
| 01 | विश्वविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष।  | डॉ. सी. वी. रामन् वि. वि., स्थापना वर्ष नवम्बर 2006,   |
| 02 | विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी।                                    | <p>फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी<br/>बी. ई. (कम्प्यूटर साईंस)<br/>बी. ई. (इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी)<br/>बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन)<br/>बी. ई. (इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स)<br/>बी. ई. (मेकनिकल)<br/>बी. ई. (सिविल)</p> <p>फैकल्टी ऑफ एजुकेशन<br/>बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी. एड.)<br/>मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम. एड.)</p> <p>मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी<br/>(विभिन्न पाठ्यक्रमों में संचालित)</p> <p>फैकल्टी ऑफ कॉमर्स<br/>(बी. काम.)<br/>(एम. काम.)<br/>(एम.बी.ए.)</p> <p>फैकल्टी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी<br/>एम एस सी (आई टी) (मास्टर ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी)<br/>पीजीडीसीए (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन)<br/>बी.सी.ए. (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन)<br/>डी.सी.ए. (डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन)</p> <p>फैकल्टी ऑफ आर्ट्स<br/>बी. ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)<br/>एम. ए. (मास्टर ऑफ आर्ट्स)</p> <p>फैकल्टी ऑफ साईंस<br/>फैकल्टी ऑफ लॉ<br/>शोध पाठ्यक्रम<br/>दूरवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम</p> |
| 03 | क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित विनियामक इकाईयों के द्वारा | हाँ, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये संबंधित विनियामक   |



|    |   |  |
|----|---|--|
|    | सक्षम अनुमति प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश की छायाप्रति।  | इकाईयों के द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त कर ली गई है। तत्संबंधी आदेश की छायाप्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।   |
| 04 | विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं (भवन, प्रयोगशाला, ग्रंथालय, खेल मैदान, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सुविधायें।)         | विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधायें पर्याप्त है।   |
| 05 | क्या विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधायें संचालित पाठ्यक्रमों के अनुरूप हैं?   | उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं, पाठ्यक्रमों के अनुरूप है। नए उपकरणों का क्रय किया जा चुका है। नया फर्नीचर एवं लाईब्रेरी के लिये पुस्तकों इत्यादि का क्रय भी किया जा चुका है।   |
| 06 | विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों की जानकारी।  | विश्वविद्यालय में 24 विभाग संचालित है, जिसमें शिक्षक एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नियमानुसार मापदण्डों के आधार पर एवं योग्यता के अनुरूप की जाती है।  |
| 07 | विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक।   | विश्वविद्यालय में 24 विभाग संचालित है, जिसमें शिक्षक एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नियमानुसार मापदण्डों के आधार पर एवं योग्यता के अनुरूप की जाती है। विभाग में छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर शिक्षकों एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की गई है।  |
| 08 | क्या विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता एवं अनुभव निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है?                              | शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार की गई है एवं मापदण्डों के अनुरूप है।   |
| 09 | क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की संख्या मापदण्डों के अनुरूप है ?                            | शिक्षकों की संख्या मापदण्डों के अनुरूप है, एवं छात्रों की संख्या के अनुसार है।   |
| 10 | क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के लिए परिनियम/अध्यादेश का अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण। | परिनियम एवं अध्यादेश विधिवत् अनुमोदित है एवं माननीय आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के परिनियम के आधार पर निम्न ईकाइयों का गठन किया गया है, जिसमें अंतर्गत शासी निकाय, प्रबंध मंडल एवं अकादमिक कांऊंसिल का गठन किया गया है, जिसमें प्रबंध मंडल द्वारा समय-समय पर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन |

